# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 03.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

**(3).**पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले 08 अभियुक्तों के विरूद्ध 03 यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

**(i). थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी द्वारा अभियुक्त** सुंदरम पुत्र होरीलाल उर्फ होरिल प्रसाद मिश्रा निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

**(ii). थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह द्वारा** अभियुक्त मनीष मिश्रा पुत्र बच्चा निवासी डरिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

**(iii). प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा** अभियुक्त 1.दीपक पासी पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासी लोधौरा 2. अखिलेश कुमार पुत्र छेदीलाल निवासी शम्भूपुर मजरा लौरी जनपद चित्रकूट 3. छोटा शुक्ला पुत्र चन्द्रशेखर निवासी लौरी 4. रमेश शुक्ला पुत्र चन्द्रशेखर निवासी लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

**(iv). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त** 1.रामशरण निषाद उर्फ मैकू पुत्र सीताराम निवासी रानीपुर भट्ट हाल मुकाम पुरानी बाजार 2.अमित पटेल पुत्र रामकरण पटेल निवासी शंकर बाजार कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

**(4).**पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों को कुल 91 क्वार्टर देशी शराब व 10 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना राजापुर जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी रोहित आर्य, एवं चीता मोबाइल चालक मुख्य आऱक्षी मुकेश कुमार ,आऱक्षी शिवधनी द्वारा अभियुक्त बबलू सोनकर पुत्र नरेश सोनकर निवासी कुसेली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को एक झोले में 20 अदद पाउच मस्तीहू देशी शराब ठेका नाजायज के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी गनीवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी रामकेश, आरक्षी वीरेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र रैदास पुत्र सुकुरुवा निवासी गोहानी कला थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के कब्जे से एक झोले में 25 अदद पाउच मस्तीहू देशी शराब ठेका नाजायज बरामद होना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii).उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना राजापुर मय हमराह आरक्षी पवन राजपूत द्वारा अभियुक्त अमृतलाल गुप्ता पुत्र कैलाश लाल निवासी भटरी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को एक झोले में 23 अदद पाउच मस्तीहू देशी शराब ठेका नाजायज के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv).उ0नि0 कन्हैया लाल बक्श थाना राजापुर जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी शाकिर अली द्वारा अभियुक्त कमलेश निषाद पुत्र रामआसरे निवासी कलवलिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को एक झोले में 23 अदद पाउच मस्तीहू देशी शराब ठेका नाजायज के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v).उ0नि0 श्री अनिल गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी मय हमराह आरक्षी शिवम मिश्रा, आरक्षी नागेश द्वारा रामखिलावन केवट पुत्र छक्कीलाल निवासी डिलौरा चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

को एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**(5).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश जे0 एम0 प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा दिनाँक 02.06.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2007 धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त पूनी पुत्र ओंकार निवासी ग्राम सेमरी थाना धाता जनपद चित्रकूट को 1500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

**(6).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 03.06.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 593/19 धारा 279,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजकुमार पुत्र लोटन निवासी बदलुआ का डेरा काजी टोला थाना बबेरु जनपद बांदा को न्यायालय उठने तक की सजा व 1800/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया

**(7).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश जे0 एम0 प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा दिनाँक 02.06.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 835/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त शंकर सिंह उर्फ बबलू पुत्र प्रताप सिंह निवासी चकला चकजाफर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।